निर्णय न्यायालय श्री दिवांशु शर्मा आर. ए. एस
उप खण्ड अधिकारी- बारां जिला बारां राज. अध्यासित

प्रकरण नं. - 3/2021 अपील
दायरा दिनांक :- 17.9.2020
निर्णय दिनांक :- 26.10.21

उनवान

धनलाल पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी अलीपुरा तह. अन्ता बारां

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमचन्द बोरीना तह. बारां
2. पदम नागर पुत्र धनलाल जाति धाकड नि. अलीपुरा तह. अन्ता
3. मुकेश नागर पुत्र धनलाल जाति धाकड नि. अलीपुरा तह. अन्ता
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

अपील इन्तकाल नं. 666 ग्राम बोरीना
निर्णय दिनांक :- 26.10.21

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा - अपीलार्थी

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील इन्तकाल विरुद्ध रेस्पो. के इस आशय की पेश की गई की ग्राम बोरीना तह. बारां में आराजी ख.नं. 521 रकबा 0.80 हे. सम्पूर्ण भाग एवं खाता नं. 72 के कुल ख.नं. 3 किता रकबा 4.02 हे. के हिस्से 1/3 की खातेदारी, खाता नं. 6 के कुल ख.नं. 24 किता रकबा 5.75 हे. स्थित है उक्त आराजी जिसका 10/24 की खातेदार अर्चना पत्नी धनलाल जाति धाकड नि. अलीपुरा अन्ता थी जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2070-73 से होती है अर्चना का देहान्त दिनांक 21-12-2019 को हो चुका है अर्चना की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान पति अपीलार्थी धनलाल, पुत्र रेस्पो. क्र. 2 पदम नागर, रेस्पो. क्र. 3 मुकेश है जिसकी पुष्टि आधार कार्ड सं. 9999-1 आर-एफ एक्स 0008 से होती है उक्त वारिसान के नाम से इन्तकाल मय खातेदार अर्चना की ... रेस्पो. क्र. 2,3 के नाम फौती नामा. तहसील क्र. 666 दिनांक 19.3.2020 को ... का आदेश पारित कर कर उनका इन्द्राज राजस्व ... एवं उक्त जानकारी दिया है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2073-76 से होती है ... की 1/3 हिस्सा, से अर्चना के स्थान पर खाता नं. 120 की सम्पूर्ण, खाता ...

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खाता सं 6 का 10/24 ही रेस्पो. क्र 2 व 3 के नाम दर्ज कर दिया है।
अधीनस्थ न्याया. द्वारा उक्त फौती नामा. रेस्पो क्र 2 व 3 के नाम तस्दीक
करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है क्योंकि अपीलान्ट हरक अर्चना का
पति है तथा कानूनन उनका विधिक व कायम मुकाम है हिन्दू उत्तराधिकार
अधिनियम अनुसार निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार
के क्रम के साधारण नियम अनुसार निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की
धारा 16 में दिये गये नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगा
प्रथमतः पुत्र, पुत्रियां और पति को। धारा 15(1) में निर्दिष्ट वारिसों में से
पहली प्रविष्टि के वारिसों को उत्तरवर्ती प्रविष्टि के वारिसों की तुलना में
अधिकार प्राप्त होगा एवं जो वारिस एक ही एक प्रविष्टि के अन्तर्गत
हो वे साथ साथ अंश भागी होंगे अधीनस्थ न्यायालय ने हरक अर्चना
के वारिसान के रूप में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं करने में गंभीर
कानूनी भूल की है अपीलान्ट की हरक अर्चना के वारिसान होने के नाते
से अंशभागी है। अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 13.8.20
को जमाबंदी की नकल लेने व दिनांक 31.8.20 को उक्त इन्तकाल की
नकल प्राप्त करने पर हुई उक्त दिवस से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत
है। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस तामील तलब
किया गया। रेस्पो. क्र 2 व 4 वावजूद तामील के न्याया. में उप. नहीं
होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी, रेस्पो. क्र
1 द्वारा पत्रावलि पेश किये। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल
जमाबंदी ग्राम बोरीना संवत 2070-73 खाता नं. 128, नकल जमाबंदी ग्राम
बोरीना संवत 2070-73 खाता नं. 72, नकल जमाबंदी ग्राम बोरीना संवत
2070-73 खाता नं. 6, नकल नामा. प्रपत्र (4-21) संवत 2070-73 ग्राम बोरीना
फोटो प्रति भामाशाह कार्ड, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 21.12.2019 अर्चना,
फोटो प्रति आधार कार्ड धनगोपाल नागर, फोटो प्रति आधार कार्ड अर्चना,
उदपुरा ग्राम पंचायत व्यवस्था का पत्र दिनांक 7-12-20 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन
किया गया। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित
तथ्यों को दोहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट
की पत्नी अर्चना का देहान्त हो चुका है अर्चना के खाते की [illegible]
[illegible] जानकार तस्दीक किया गया
फौती नामा. रेस्पो क्र [illegible] पति था। बच्चों के नाम-नाम
था जबकि अपीलान्ट [illegible] था। साथ पुत्रों को
भी पति का नाम भी [illegible] तस्दीक किया गया है
वारिस मानते हुए पुत्रों के नाम नाम [illegible] खोज कर तस्दीक किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जो कालिम स्वार्थी है अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामा. नं. 666 दिनांक 19.3.20 खारिज किया जावे तथा तहसीलदार को पुनः अपीलार्थी व उसके पुत्रों के नाम नामा. खोलने के आदेश प्रदान किये जावें। क्योंकि पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, पुत्रियां व उसके पति के नाम नामा० खोल कर तस्दीक किया जाना चाहिये जो तहसील उक्त फैसला ने की ~~भूल~~ भूल की है अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे। एवं नामा. नं. 666 खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बेरीखा सम्वत 2070-73 खाता नं. 128 के अनुसार रेस्पो. क्रम 2,3 का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम बेरीखा सम्वत 2070-73 खाता नं. 72 के अनुसार रेस्पो. क्रम 2 व 3 के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम बेरीखा सम्वत 2070-73 खाता नं. 6 के अनुसार रेस्पो. क्रम 2 व 3 का नाम दर्ज रिकार्ड है जिनके हिस्से 5/24, 5/24 दर्ज है। नकल नामा. नं. 666 दिनांक 19.3.20 के अनुसार मृतक अर्चना का फौती नामा० मुताबिक तहसीलदार के आदेश क्रमांक 1522 दि. 19.3.20 एवं हल्का पटवारी [illegible] तह. [illegible] क्षेत्र तथा तहसीलदार [illegible] के आदेशानुसार वारिसान की जांच उपरान्त नामा. खोलकर तस्दीक किया गया होना पाया जाता है। प्रकरण में यह साबित होता है कि विवादित आराजी स्वअर्जित आराजी नहीं है अपीलार्थी द्वारा स्वअर्जित आराजी होने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे विवादित आराजी स्वअर्जित साबित हो सके। अपीलार्थी द्वारा पैतृक सम्पत्ति होने के बावजूद तथ्यों को छुपा कर अर्चना के वारिसान के साथ अपना नाम सम्मिलित कर नामा. मुताबिक हेतु अपील प्रस्तुत की है नामा. नं. 666 खोला गया है व सही है अपीलार्थी पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खिलाफ जाकर दर्ज (?) [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:47 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां